कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

[illegible] मार्ग, ओखला फेज–1
नई दिल्ली–110020
दूरभाष: 011–26814161
[illegible] 26818201 ई-मेल: esihospital@yahoo.co.in

सुरक्षा सेवाएं देने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल परिसर तथा आवासीय कॉलोनी, ठेके के आधार पर, दोहरी बोली पद्धति के अधीन एक साल के लिए पूर्णकालिक सुरक्षा सेवाएं देने के लिए पंजीकृत पेशेवर सुरक्षा एजेंसियों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार विभागों, पब्लिक सैक्टर कम्पनियों को लगातार तीन वर्ष तक सुरक्षा सेवाएं देने का अनुभव है, से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सुरक्षा गार्ड अनिवार्य रूप से भूतपूर्व सैनिक ही होने चाहिए।

निविदा फार्म, जिसमें कि सभी नियम व शर्तें दी गई हैं, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के कार्यालय से दिनांक 17.11.2008 से 07.12.2009 तक, रविवार व सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर, किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, रु. 1000/– (एक हजार रुपये केवल) प्रत्येक के डिमांड ड्राफ्ट, जो कि ईएसआईसी फंड खाता सं. 01, नई दिल्ली के पक्ष में देय हो के रूप में जमा करवाकर व्यक्तिगत रूप में लिखित अनुरोध कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म का मूल्य अप्रतिदेय होगा और यह फार्म अहस्तातरणीय होगा। प्रत्येक सेवा के लिए निविदा फार्म उपरोक्त वर्णित अन्तिम तिथि तक अपरान्ह 1.00 बजे तक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के कार्यालय से प्राप्त किए जायेंगे। निविदा कागजात ईएसआई वेबसाइट **www.esic.nic.in** से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं जिसके साथ ईएसआईसी फंड खाता संख्या–01, नई दिल्ली के नाम रु. 1000/– (एक हमार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा।

मुहरबंद लिफाफे में टेंडर फार्म जिसके साथ किसी भी राष्ट्रीय/वाणिज्यिक बैंक का रु. 2,50,000/– का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संलग्न हो, प्रशासनिक कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक 08.12.2009 से 10.12.2009 तक डालें जा सकते हैं।

निविदाएं, अगले कार्यदिवस को निविदा समिति के द्वारा, निर्धारित तिथि पर, उपस्थित रहने के इच्छुक निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में, दिनांक 11.12.2009 को पूर्वान्ह 10.00 बजे खोली जाएंगी। यदि दिनांक 11.12.2009 को राजपत्रित अवकाश घोषित होता है तो निविदाएं अगले कार्यदिवस पर खोली जाएंगी। निविदाएं, जिसके साथ उक्त वर्णित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि ईएसआईसी फंड खाता सं. 01 के पक्ष में देय हो व सभी समर्थित प्रपत्र संलग्न होने चाहिएं। असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि निविदा को अन्तिम रूप देने/अधिनिर्णय के उपरांत प्रतिदेय होगी। उक्तवर्णित धरोहर /सुरक्षा जमा राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। जिन निविदाओं के साथ उपरोक्तलिखित प्रकार से धरोहर राशि संलग्न नही होगी व अधूरे तथा सशर्त होंगे वे सरसरी तौर पर अस्वीकार्य होंगे।

चिकित्सा अधीक्षक के पास एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)